

# हर पल टाइम्स

RNI NO:- MAHHIN/2011/24374

कार्यकारी संपादक : जमील जी. खान

● वर्ष : ०७ ● अंक : २२

● मुंबई, शुक्रवार, २६ जनवरी से १ फरवरी २०१८

● पृष्ठ : ४

● मूल्य : २/- रुपये

मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटका, आंध्रप्रदेश, गुजरात, झारखंड, चेन्नई, कलकत्ता जानेवाला  
अखबार, (०७४९८५३५२८६ आपकी समस्या के लिए इस नंबर पर संपर्क करें)

## शिवसेना ने भाजपा सरकार से बाहर होने की घोषणा करने का शतक पूरा कर लिया-सचिन सावंत

संवाददाता

मुंबई, लोकसभा और विधानसभा के आगामी चुनाव शिवसेना 'स्वबल' पर लड़ेगी। मंगलवार को शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में इसका ऐलान किया गया। इसके बाद यह साफ हो गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब भाजपा को कांग्रेस-एनसीपी के साथ-साथ शिवसेना से भी भिड़ना होगा। शिवसेना ने अब सभी राज्यों में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है। सांसद संजय राऊत ने यह प्रस्ताव पेश किया, जिसे एक राय से मंजूर कर लिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पांच और प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें किसानों की उपज का गारंटी मूल्य देने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, मराठी समाज को एकजुट करने, खेतिहर मजदूरों को पेंशन देने, महिला सशक्तिकरण करने और हिंदूराष्ट्र का प्रस्ताव शामिल है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उद्धव ठाकरे को एक राय से फिर पार्टी का प्रमुख



चुना। आदित्य ठाकरे को 'शिवसेना नेता' चुनकर उन्हें शिवसेना के सर्वोच्च नीति नियामक मंडल में जगह दी गई है। आदित्य के अलावा एकनाथ शिंदे, चंद्रकांत खैरे,

आनंदराव अडसूल और अनंत गीते को भी 'शिवसेना नेता' पद दिया गया है। अब पार्टी में १३ 'नेता' हो गए हैं। ये प्रस्ताव हुआ पारित शिवसेना जीत-हार की परवाह न करने वाली स्वाभिमानी पार्टी है। हमने २५ साल पहले हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा से गठबंधन किया था। गठबंधन बनाए रखने के लिए पार्टी ने कई बार संयम और त्याग की भूमिका अख्तियार की, लेकिन पिछले तीन साल में भाजपा ने शिवसेना को नुकसान पहुंचाने का एक भी मौका नहीं

छोड़ा है। शिवसेना के खिलाफ भाजपा खुलकर सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। इसीलिए प्रतिनिधि सभा यह प्रस्ताव करती है कि शिवसेना २०१९ का लोकसभा और विधानसभा चुनाव खुद की ताकत पर लड़ेगी और लोकसभा की २५ और विधानसभा की १५० सीटों पर जीत हासिल करेगी। शिवसेना की घोषणा का विपक्ष ने मजाक उड़ाया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा, 'शिवसेना ने भाजपा सरकार से बाहर होने की घोषणा करने का शतक पूरा कर लिया है।

## लड़का निकला 'फेसबुक लवर', पुलिसकर्मी ने की हत्या

चेन्नै, चेन्नै के ३२ वर्षीय पुलिसकर्मी कन्न कुमार को शायद किसी ने यह नहीं बताया कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली किसी भी चीज पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आरोपी कॉन्स्टेबल ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर फेसबुक पर महिला बनकर प्यार का झांसा देने वाले एक युवक की हत्या कर दी। आरोपी कॉन्स्टेबल कन्न कुमार ने विरुधनगर जिले में स्थित अपने गांव जाने के लिए १० दिनों

की छुट्टी ली हुई थी। वह फेसबुक पर मिली 'लड़की' से मिलने गया था, जिससे उसे प्यार हो गया था। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि जिसे वह लड़की समझ रहा था, वह तो असली में एक पुरुष है। केस के इनवेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया, 'आरोपी कन्न फरार चल रहा है, जबकि उसके तीनों दोस्तों विजयकुमार, तमिलरासन और तेंजिंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मुख्य

आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम ने अभियान शुरू कर दिया है।' पुलिस ने बताया, 'फेसबुक पर एस अय्यानार ने लड़की के नाम से फेक आईडी बनाई हुई थी। वह कन्न से बहुत सॉफ्ट आवाज में बात करता था। लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चला तो वह बहुत निराश हो गया और आत्महत्या की कोशिश भी की। इसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अय्यानार की हत्या की साजिश रची।'

## कई किलो विस्फोटक के ऊपर चल रही अदालतें

बेंगलुरु, सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट कॉम्प्लेक्स विस्फोटकों पर बसा हुआ है। यह वही जगह है जहां कई कोर्ट हॉल मौजूद हैं। इस कॉम्प्लेक्स के स्टोर रूम में पिछले तीन साल से लगभग तीन किलो विस्फोटक जमा हो गया है। तीन किलो अमोनियम

नाइट्रेट और तीन किलो जिलेटिन स्टिक्स कॉम्प्लेक्स के प्रॉपर्टी रूम में जमा हैं। यहां अलग-अलग केस में जब्त किया गया सामान जमा करके रखा गया है। विस्फोटक सामान को किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था के बिना ही बाकी सामान के साथ रख

दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए जरूरी कदम उठाने का काम दे दिया है। अभियोजन पक्ष ने अब कोर्ट में इस सामान को हटाने के लिए आवेदन दाखिल किया है। पुलिस ने अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे विस्फोटक जैसे, डेटनेटर, जिलेटिन

स्टिक्स, टाइमर्स, डिजिटल सर्किट, पीवीसी, जेल, ईंधन, लैपटॉप और दूसरा सामान जनवरी २०१५ में जब्त किया था। इस सामान को बाकी मामलों में जब्त किए गए सामान के साथ ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स के प्रॉपर्टी स्टोर रूम में जमा कर दिया गया।

## पुलिस हिरासत में मौत मामले में जांच का आदेश

मुंबई, उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह २९ वर्षीय एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में हुई मौत की जांच करें। गौरतलब है कि अगस्त, २०१५ में दीपक जाधव का शव मानखुर्द पुलिस स्टेशन में लटका हुआ मिला था। पुलिस ने आत्महत्या का मामला बताया हुए न तो इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज की और न ही कोई न्यायिक

मजिस्ट्रेट की जांच की मांग की, जबकि आपराधिक आचार संहिता (सीआरपीसी) के तहत ऐसा करना जरूरी था। न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश बीपी कोलाबावाला ने इसे 'कानूनी अनदेखी' बताते हुए इस पर घोर आपत्ति जताते हुए निर्देश दिया कि पुलिस महानिरीक्षक के स्तर का कोई पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच करे। इस मौत पर



दीपक की पत्नी दीपा जाधव ने याचिका दायर करके कहा है

कि यह घटना अगस्त, २०१५ में हुई थी। लेकिन न्यायालय

ने कहा कि 'यह कैसे संभव है कि एक आम आदमी किसी भी पुलिसकर्मी की निगाह में आए बिना ऊपर वाले कमरे में चला गया। ऊपरी तौर पर आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि कोई भी पुलिस स्टेशन में प्रवेश कर सकता है और वह भी पुलिस अधिकारियों द्वारा वर्दी बदलने वाले कमरे तक'। न्यायालय

ने यह भी कहा कि इस घटना की जानकारी न्यायिक या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं दी गई? सीआरपीसी में २००५ में किए गए संशोधन के अनुसार, यदि पुलिस हिरासत में कोई मौत होती है या कोई गायब हो जाता है तो उसकी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही ऐसी जांच घटना के २४ घंटों

## संपादकीय...

### शिक्षा का लचर स्तर भारत के लिए एक बड़ा खतरा

एक देश के रूप में भारत का लक्ष्य है कि वह विकास का वैश्विक केंद्र बनकर उभरे। इस हवाले से अगर हम हाल ही में ग्रामीण भारत के लिए जारी हुई एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (एएसईआर) को देखें तो पता चलता है कि यह लक्ष्य हासिल कर पाना कितना मुश्किल काम है। यह सर्वेक्षण २४ राज्यों के २८ जिलों में किया गया है और इसके नतीजे हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था की बेहद निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। यह सर्वेक्षण १४ से १८ साल के आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं के बीच किया गया था। इसमें आठवीं कक्षा में पढ़ रहे उन बच्चों का पहला बैच भी शामिल है जो शिक्षा का अधिकार कानून के पहले लाभार्थी हैं। यह कानून आठ साल पहले लागू हुआ था। रिपोर्ट बताती है कि इन छात्रों में से एक चौथाई अपनी मातृभाषा ठीक से नहीं पढ़ सकते जबकि ५७ प्रतिशत साधारण गुणा-भाग के सवाल हल नहीं कर सकते। चौंकाने वाली बात यह भी है कि १४ प्रतिशत छात्र भारत का नक्शा नहीं पहचानते, वहीं ३६ प्रतिशत यह नहीं बता पाए कि देश की राजधानी क्या है। एएसईआर के नतीजों से यह बिलकुल साफ हो जाता है कि भारत के स्कूली शिक्षा तंत्र में भारी खामियां हैं और इन्हें सिर्फ कानून बनाकर दूर नहीं किया जा सकता। इसमें कोई दोराय नहीं कि स्कूलों में छात्र-छात्राओं का पंजीयन तेजी से बढ़ा है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता कहीं ठहर गई है। सीधे-सीधे कहें तो भारत में सेकंडरी और हायर सेकंडरी स्तर पर छात्रों के एक बड़े तबके को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वे स्कूल में या नहीं। ये छात्र अपने स्तर के मुताबिक योग्यता हासिल करने में बहुत पीछे हैं और जाहिर है कि ये 'स्किल इंडिया' से जुड़े कार्यक्रमों के लायक नहीं हो सकते। इसका आगे जाकर भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस समय हर महीने दस लाख से ज्यादा युवा देश के श्रम बल का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन शिक्षा की कमतर गुणवत्ता का मतलब है कि इनमें से अधिकांश रोजगार पाने लायक नहीं होंगे। ऐसे बेरोजगार युवा अराजकता फैलाने वाले कामों में खुद को खपा सकते हैं। इस तरह भारत को अपनी जिस जनसंख्या का फायदा मिलना चाहिए वह अब टाइम बम में तब्दील हो रही है। ताजा हालात से निकलने का एक ही तरीका है कि स्कूली शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर और जोर दिया जाए। शिक्षकों की भर्ती के मानक कड़े हों और उनका भी समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए। जिन स्कूलों का प्रदर्शन अच्छा हो उन्हें पुरस्कृत किया जाए तो वहीं खराब नतीजे देने वाले स्कूलों के लिए सजा का प्रावधान भी हो। जैसे कि सजा के तौर पर यहां के प्रबंधन में बदलाव किया जा सकता है। यह बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहां शिक्षा व्यवस्था तब तक चुनावी मुद्दा नहीं बनती जब तक कि पाठ्यक्रमों में सत्ताधारी पार्टियां अपने मुताबिक बदलाव करने को शिष्टा न करें। लेकिन आज देश जातिवाद, आरक्षण विवाद, लिंगभेद या बेरोजगारी की जिन समस्याओं से जूझ रहा है, वे शिक्षा व्यवस्था सुधारने से ही दूर हो सकती हैं। उस दौर में जबकि चीन जैसे देश अपने युवाओं को रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भविष्य के क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर रहे हैं, हम बुनियादी शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं कर पा रहे। कुल मिलाकर अब रोजगार के अवसर बढ़ाते हुए शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए।

## १५ वर्ष की नाबालिग बेटी की अंतिम संस्कार न कर पाने वाले जेल में बंद पिता ने मांगी आत्महत्या की अनुमति

संवाददाता  
भिवंडी, पिता के खिलाफ गलत मामला दर्ज कराने और उन्हें जेल भिजवाने से आहत १५ वर्ष की नाबालिग बेटी ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार न कर पाने वाले पिता ने भी आत्महत्या करने के लिए मुंबई उच्च

न्यायालय से अनुमति मांगी है। मजदूर पिता कल्याण के आधारवाडी जेल में बंद है। अदालत दो फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगी। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला के रहने वाले शीतला प्रसाद सिंह की पत्नी का निधन हो गया था। उनके तीन बच्चे हैं, जिनमें उनकी

सबसे बड़ी बेटी १५ वर्ष की थी। बच्चों की परवरिश के लिए वह दूसरी शादी करना चाहते थे। उनके किसी परिचित ने बताया कि भिवंडी में एक विधवा है, जो शादी करना चाहती है। इसके बाद शीतला प्रसाद सिंह भिवंडी आ गए और उस महिला को प्रतापगढ़ ले जाकर वहां कोर्ट में

शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद महिला भिवंडी आ गई और शीतला सिंह पर दबाव बनाने लगी कि वह अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दें। शीतला सिंह के इनकार करने पर महिला ने उनके खिलाफ भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन में बलात्कार का मामला दर्ज करवा दिया।

## कांदिवली क्राइम ब्रांच ने मटका किंग कुख्यात पप्पू सावला किया गिरफ्तार

मुंबई, कांदिवली क्राइम ब्रांच ने मटका किंग के नाम से कुख्यात पप्पू सावला को हफ्तावसूली के केस में गिरफ्तार किया है। उसके साथी राजू दवे को भी पकड़ा गया है। डीसीपी निसार तांबोली ने कहा कि दोनों आरोपियों ने एक डेवलपर को धमकाया था। उसकी पत्नी और बेटी का अपहरण करने की भी धमकी दी थी। पप्पू सावला और शिकायतकर्ता के बीच किसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट को लेकर २०१२ में समझौता हुआ था।

इसमें पप्पू को शिकायतकर्ता को पांच करोड़ रुपये देने थे। शिकायतकर्ता ने इस रकम के



लिए कई बार याद दिलाया, पर उसे कभी रकम वापस नहीं मिली। सितंबर, २०१७ में पप्पू ने शिकायतकर्ता से कहा कि

२०१२ के समझौते के तहत हकीकत में उसे (शिकायतकर्ता को) ३७ करोड़ रुपये पप्पू को देने हैं। उसने इसके बदले में शिकायतकर्ता से जबरन कांदिवली के ३००० वर्ग फीट के एक प्लॉट वगैरह अलॉटमेंट लेटर लिखवा लिया। यही नहीं, उसने बोरिवली में पांच गाले भी उसे देने का उस पर दबाव बनाया।

जब शिकायतकर्ता डेवलपर ने

ये गाले देने से मना कर दिया, तब पप्पू ने उसकी पत्नी और बेटी का अपहरण करने की धमकी दी। इसी के बाद मामला क्राइम ब्रांच तक पहुंचा। सीनियर इंस्पेक्टर चिमाजी अढाव ने उसे व दवे को शुक्रवार को इसी केस में गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी के अनुसार, उनकी जानकारी में पप्पू ने मुंबई के कई और डेवलपर्स को भी धमकाया है। हम उन सभी केसों की भी पड़ताल करेंगे।

## महाराष्ट्र में चार साल में १६८७ लोगों ने बदला धर्म

मुंबई, महाराष्ट्र में पिछले चार साल में १६८७ लोगों ने अपना धर्म बदला है। सबसे ज्यादा धर्म बदलने वाले हिंदू हैं। यह खुलासा आरटीआई के तहत मांगी गई एक जानकारी से हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र सरकार की सरकारी प्रेस, लेखन सामग्री और प्रकाशन निदेशालय से धर्म परिवर्तन की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में विभाग ने १० जून २०१४ से १६ जनवरी २०१८ तक लोगों द्वारा अपनी इच्छा से किए गए धर्म परिवर्तन की जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि कुल १६८७ लोगों ने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन किया है। आरटीआई जानकारी के मुताबिक, कुल १६८७ में से ११६६ हिंदुओं ने अपना धर्म बदला है। इनमें से ६६४ लोगों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया है। उसके बाद २५८ लोगों ने बौद्ध धर्म, १३८ लोगों ने ईसाई, ८८ ने जैन, ११ ने सिख और १ ने नवबौद्ध धर्म अपनाया है। कुल २६३ मुस्लिम धर्म के लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन

किया है। इनमें से २२८ लोग हिंदू बने हैं। १२ ने बौद्ध, २१ ने ईसाई और २ ने जैन धर्म अपनाया है। अन्य धर्मों में भी परिवर्तन हुआ है। १६५ ईसाइयों ने धर्म बदला है। सबसे अधिक १०० लोग हिंदू बन गए हैं। ११ बौद्ध, ५ जैन, ४७ मुस्लिम और २ जैन बन गए हैं। ५३ बुद्धिस्ट में से १७ हिंदू, १४ ईसाई, १ जैन और २१ मुस्लिम बन चुके हैं। १६ सिख में से २ ईसाई, २ जैन और १४ मुस्लिम बन गए हैं। ९ जैन में से २ हिंदू, २ ईसाई, ४ मुस्लिम और १ ने सिख धर्म स्वीकार कर लिया है। वहीं, ११ अन्य में से ६ हिंदू, २ बुद्धिस्ट, १ जैन, १ मुस्लिम और १ ने सिख धर्म को अपना लिया है। नव बुद्धिस्ट ४ थे, जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है। अनिल गलगली के अनुसार, ये आंकड़े अधिकृत हैं। जिन्हें सरकारी कार्य या अन्य किसी वजह से धर्म परिवर्तन का सबूत देने की आवश्यकता होती है, वही लोग सरकारी राजपत्र में इसका पंजीकरण कराते हैं।

## हाई कोर्ट की बीएमसी को कड़ी फटकार

संवाददाता  
मुंबई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनोरंजन संबंधी गतिविधियों के लिए आरक्षित भूखंड पर स्वच्छ भारत अभियान की आड़ में शौचालय बनाने को लेकर बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने साल २०१४ में शौचालय को तोड़ने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर अमल न करने को लेकर बीएमसी के अधिकारियों को पी.एन.देशमुख की खंडपीठ ने बीएमसी के एक आवेदन पर सुनवाई के दौरान ऐसा किया। आवेदन में बीएमसी ने हाई कोर्ट के २०१४ के उस आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें मनपा को बोरिवली में एक भूखंड पर बने शौचालय प्रखंडों को तोड़ने को कहा गया था। बीएमसी कर रहा कार्रवाई शुक्रवार को

महानगर के ५४८ वाणिज्यिक केंद्रों की जांच की गई। इस दौरान १४ जगहों पर अवैध



निर्माण होने का पता चला, जिसे तुरंत ध्वस्त कर दिया गया। अन्य ३२२ केंद्रों को सुधार करने के लिए आई आर नोटिस दिया गया। गौरतलब है कि कमला मिल हादसे के बाद अनियमितता बरतने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ बीएमसी ने व्यापक अभियान चलाया है। इस क्रम में अवैध निर्माण और नियम के पालन में अनियमितता के साथ-साथ अवैध तरीके से गैस सिलिंडर के भंडारण की भी जांच की जा रही है। शुक्रवार की कार्रवाई के दौरान १६६ अवैध सिलिंडर भी जब्त किए गए। अब तक मुंबई भर से ऐसे हजारों सिलिंडर जब्त हो चुके हैं।

# महाराष्ट्र और यूपी के बीच सहमति पत्र 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत'

## संवाददाता

मुंबई, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मोर्य ने दी। राज्य

अतिथि गृह 'सह्याद्री' ने कहा कि यह सहमति राज्यों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक-दूसरे से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' योजना के तहत बनी है। इसका मकसद दोनों राज्यों के आम लोगों के

बीच आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना है। इस सहमति पत्र पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले महाराष्ट्र और

उत्तर प्रदेश पहले राज्य हैं। मोर्य ने बताया कि इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र अपने-अपने राज्यों के विद्यार्थियों, अधिकारियों और उद्योगपतियों आदि को एक कार्यक्रम के तहत एक-दूसरे के राज्य में भेजेंगे, ताकि वे एक-दूसरे के राज्य की

भाषा, संस्कृति, इतिहास और महापुरुषों के बारे में जान सकें। मोर्य ने कहा कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का संबंध काफी पुराना है। महाराष्ट्र से लोग पढ़ने काशी जाते थे, लेकिन कालांतर में कुछ लोगों ने दोनों प्रदेशों के समाजों में नफरत पैदा करने का काम

किया। जिन लोगों ने यह काम किया उन्हें महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया है। वही लोग बीच-बीच में अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीयों के खिलाफ आंदोलन करके माहौल को खराब करने का काम करते हैं।

## मराठी अभिनेता की ट्रेन दुर्घटना में मौत

मुंबई, पश्चिम रेलवे के मालाड स्टेशन के पास मराठी कलाकार की लोकल की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, प्रफुल भालेराव(२२) सोमवार को मालाड से गिरगांव जाने के लिए लोकल ट्रेन पकड़ रहे थे। लेकिन चलती लोकल पकड़ने की कोशिश में उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। प्रफुल धीमी लोकल पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी पकड़ छूट गई और वह सिगनल के खंभे से टकरा गए। हादसे में प्रफुल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

## बीजा ऑन अराइवल देने पर विचार कर रहा है यूपई

नई दिल्ली, संयुक्त अरब अमीरात (यूपई) भारत के नागरिकों के लिए 'बीजा ऑन अराइवल' की सुविधा देने पर विचार कर रहा है। दूतावास ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो वहां जाने वाले भारतीय नागरिकों के काम आएगा। इनकी जरूरतों और सवालों के लिए इस ऐप में कई सूचनाएं और फीचर हैं। यात्रा सुरक्षित और बाधाहित हो, इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं।

## SIT के सामने आजम ने दिया बयान

लखनऊ, उत्तर प्रदेश जल निगम में हुई १३०० भर्तियों में धांधली की जांच कर रही एसआईटी के सामने सोमवार को पूर्व नगर विकास मंत्री आजम खां पेश हुए और बयान दर्ज करवाया। आजम खां करीब एक घंटा ५५ मिनट तक एसआईटी के दफ्तर में रहे। इस दौरान पूर्व नगर विकास सचिव एसपी सिंह भी वहां मौजूद थे।

## आसाराम को फिर नहीं मिली जमानत


नई दिल्ली, गुजरात सरकार ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय को जानकारी दी कि आसाराम बापू से जुड़े रेप मामले में २९ जनवरी से पीड़िता के बयानों की जांच होगी। इस पर शीर्ष अदालत ने आसाराम की जमानत याचिका पर नौ सप्ताह तक सुनवाई स्थगित कर दी और कहा कि पीड़िता की जांच के बाद मामले में सुनवाई की जाएगी।

## प्रकाश राज-फरहान ने की मंत्री की खिंचाई

नई दिल्ली, केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह के बयान की खिंचाई करते हुए अभिनेता प्रकाश राज ने कहा, 'हमारे पूर्वजों ने नहीं देखा कि इंसान बंदर से विकसित हुआ है, ऐसा मंत्री कहते हैं।

## सड़क बनने में देरी, हादसे में मौत

कल्याण, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्र में कॉन्क्रीट सड़क का काम धीमी गति से होने की वजह से संतोषी माता रोड शंकर मंदिर के पास ११ वर्षीय जैसलिन कुट्टी दुर्घटना का शिकार हो गया। स्कूल से लौटते वक्त वह ट्रक की चपेट में आ गया और गंभीर जखमी हो गया। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क बनने में हुई देरी कारण यह हादसा हुआ।




महाराष्ट्र शासन

# एक मन एक समाज एक राष्ट्र...


पाऊल विकासाचे...  
राष्ट्रनिर्माणाचे,  
संदेश समतेचा...  
राष्ट्रभक्तीत समरसण्याचा !

## नमन तिरंगा

### प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!



श्री. नरेंद्र मोदी  
भा. प्रधानमंत्री



श्री. देवेंद्र फडणवीस  
भा. मुख्यमंत्री

Visit - [www.mahanews.gov.in](http://www.mahanews.gov.in) | Follow Us : [MahaDGIPR](https://www.facebook.com/MahaDGIPR) Like Us : [MahaDGIPR](https://www.facebook.com/MahaDGIPR) | Subscribe Us : [MahaDGIPR](https://www.facebook.com/MahaDGIPR)

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन

## संक्षिप्त समाचार

## पुलिस की तरफ से लापरवाही बरतने का आरोप

**ठाणे:** साढ़े ३ साल पहले हुई एक हत्या के मामले में ठाणे सत्र न्यायालय ने ५ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, न्यायाधीश पी.आर. कदम ने मामले में नौपाडा पुलिस की तरफ से लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। न्यायाधीश ने तत्कालीन जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक मछिंद्र थोरवे की जांच का आदेश पुलिस महानिदेशक को दिया है। राजनीतिक रंजिश के चलते २२ जुलाई २०१४ को संजय रोकडे की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में मंगेश जाधव, मनीष जाधव, निलेश कटाते, मनोज सोनावणे और गणेश देवाडिगा को गिरफ्तार किया था।

## दिघा: अवैध झोपड़े टूटे

**नवी मुंबई:** दिघा के कई इलाकों में चलाई गई एक विशेष मुहिम में महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडल (एमआईडीसी) के दस्तों ने सैकड़ों अवैध झोपड़ों को तोड़कर हटा दिया। एमआईडीसी ने यह कार्रवाई दिघा स्थित गणपतिपाडा, यादव नगर, इल्हनपाडा और देवीदास नगर में की। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात था। सूत्रों के अनुसार, तोड़े गए झोपड़े कुछ सप्ताह व महीने पहले बने थे। इनमें बिजली और पानी के कनेक्शन थे, जिन्हें आधार बनाकर भूमाफिया बेचने के प्रयास में थे।

## पत्नी को जिंदा जलाया

**भिवंडी:** भिवंडी में साठेनगर के रहने वाले एक युवक ने पत्नी को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। महिला को उपचार के लिए ठाणे के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में नारपोली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी अमोल मगर बेरोजगार था और उसे शराब की लत थी। इसी बात को लेकर पति-पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था।

## क्लीनअप मार्शल ने वसूले एक लाख

**भिवंडी:** स्वच्छ भारत अभियान के तहत भिवंडी मनपा की क्लीनअप मार्शल टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों की दुकानों में छपा मारकर ५० माइक्रोन से कम प्लास्टिक की थैली का उपयोग करने वालों से पिछले १५ दिन में एक लाख १३ हजार २०० रुपये वसूल कर दंडात्मक कार्रवाई की। मनपा के अनुसार, दुकानदारों सहित ग्राहकों को बार-बार सूचना देने के बावजूद दुकानदार ५० माइक्रोन से पतली थैली का उपयोग कर रहे हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई।

## 'डिजिटल' कार्ड की शुरुआत

**ठाणे:** नागरिकों के लिए डिजिटल कार्ड की शुरुआत करने वाला ठाणे शहर देश का पहला शहर हो गया है। मनपा की तरफ से शुरू किया गए 'डीजी-ठाणे' कार्ड से सिनेमा टिकट, मॉल और दुकान में शॉपिंग, बिल भुगतान और एटीएम से पैसे निकाले जा सकेंगे। इस्त्राइल के तेल अबीब शहर की तर्ज पर यह कार्ड जारी किया गया है। तेल अबीब के महापौर डॉक्टर रान हलदाय की उपस्थिति में युवा शिवसेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने घाणेकर सभागृह में इसका लोकार्पण किया।

## असदुद्दीन ओवैसी पर जूता फेंका गया, आरोपित की पहचान हुई

**मुंबई।** यह घटना मुंबई में तब हुई जब असदुद्दीन ओवैसी तीन तलाक पर भाषण दे रहे थे, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर जूता फेंके जाने का मामला सामने आया है। हालांकि उन्हें यह नहीं लगा।

खबरों के मुताबिक यह घटना मंगलवार रात की है जब ओवैसी दक्षिण मुंबई के नागपाडा इलाके में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पुलिस ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिये ओवैसी पर जूता फेंकने वाले आरोपित व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और उसे जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

जूता फेंके जाने की घटना पर ओवैसी ने कहा, 'ऐसी हरकतें करने वाले लोग महात्मा गांधी, गोविंद पनसारे और नरेंद्र डामोल्कर के हत्यारों की विचारधारा से प्रेरित हैं। ये निराश लोग हैं। मुझ पर चाहे जितना हमला हो लेकिन मुझे सच बोलने

से कोई नहीं रोक सकता।' पिछले कुछ समय से तीन तलाक के मुद्दे पर हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रखा है। बीते सोमवार को हैदराबाद में भी एक जनसभा को दिए अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि तीन तलाक की आड़ में भाजपा

मुस्लिम मर्दों को जेल भिजवाकर औरतों को सड़कों पर लाना चाहती है। मंगलवार को मुंबई में भी इस मुद्दे को उठाते हुए ओवैसी ने कहा, 'भाजपा से देखा नहीं जा पा रहा कि तीन तलाक का फैसला मुसलमानों को मंजूर नहीं है।' वैसे नेताओं पर विरोधस्वरूप जूता फेंके जाने की घटनाएं पहले भी होती रही

हैं। इसकी शुरुआत अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से हुई थी। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को ऐसे हमले का सामना करना पड़ा है।

## मुश्किल में घिरी आप को मिली राहत बीजेपी - कांग्रेस के अरमानों को लगा झटका?

**नई दिल्ली।** २० विधायकों की सदस्यता पर हाईकोर्ट ने आज निर्वाचन आयोग को ऐसा आदेश दिया जिससे दिल्ली की राजनीति फिर से पलट सकती है। यह आदेश किसी के लिए जीवनदान तो किसी के अरमानों पर पानी फेरने जैसा साबित हो सकता है। अयोग्य ठहराए गए २० विधायकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन

आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह मामले का निपटारा होने तक उप चुनाव की घोषणा न करे। मामले की अगली सुनवाई २९

जनवरी को होगी। खचाखच भरा था कोर्टरूम, कल सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। कोर्ट में अलका लांबा, राजेश ऋषि, जर्नल सिंह सहित कई दूसरे आप नेता कोर्ट में मौजूद थे।

## आप' को HC से आंशिक राहत

**नई दिल्ली,** लाभ के पद के मामले में आम आदमी पार्टी के २० पूर्व विधायकों को दिल्ली उच्च न्यायालय से थोड़ी राहत मिली है।

अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह सुनवाई की अगली तारीख २९ जनवरी से पहले इन सीटों पर उपचुनाव की तारीखें घोषित करने की हड़बड़ी ना करे। हालांकि अदालत ने विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी केंद्र की अधिसूचना

पर रोक लगाने की उनकी मांग को टुकरा दिया, जिसे आप के लिए झटका माना जा रहा है। आप के पांच विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन ने अदालत से कहा कि यदि अदालत केंद्र की अधिसूचना पर रोक नहीं लगा सकती, तो कम से कम उसे निर्वाचन आयोग को उपचुनाव कराने से रोकना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनकी याचिकाएं बेमतलब हो जाएंगी।

## ग्राम पंचायतों को और अधिक अधिकार दिए जाने की जरूरत

संवाददाता

**मुंबई,** अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवभूषण उपाध्याय का मानना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए ग्राम पंचायतों को और अधिक अधिकार दिए जाने की जरूरत है देश की संसद ने पंचायती राज एक्ट को मंजूरी दी है लेकिन उसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाया है। संघटन का विस्तार करने के उद्देश्य से मुंबई दौरे पर आये उत्तर प्रदेश के भदोही जिला अंतर्गत बरजी कला ग्राम पंचायत के प्रधान शिवभूषण उपाध्याय ने कहा कि देश के सभी राज्यों में एक तरह की पंचायती व्यवस्था लागू की जानी चाहिए ग्राम प्रधान को भी सीधे चाहिए ग्राम प्रधान को भी सीधे जनता चुनती है जिस तरह सांसद विधायक एवं अन्य

जनप्रतिनिधियों को अधिकार दिए गए हैं उसी तरह का अधिकार प्रधान एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों को मिलना चाहिए। उपाध्याय ने कहा कि प्रधानों को वित्तीय अधिकार नहीं है इतनी अधिक शर्तें थोप दी गयी हैं कि प्रधान को हमेशा जाँच का डर सताते रहता है अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपाध्याय ने कहा कि मुंबई में रहे उत्तर भारतीयों को एक जुट करने का प्रयास चल रहा है हमने एक फोरम बनाया है मुंबई में रह कर रोजी रोटी कमाने वाले गांव की समस्याओं के निरा कण हेतु सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं किसी भी गांव में पंचायत संबंधी शिकायतों का निवारण किया जायेगा इसको लेकर एक तंत्र स्थापित किया गया है।

## हरपल टाइम्स व हरपल टीवी न्यूज

क्राइम द मोस्ट वांटेड व क्राइम इन्वेस्टिगेशन न्यूज देश के सभी जगहों पर हमारी खास न्यूज बतायी जा रही है अगर आपको, मोबाइल और लेपटॉप, पर देखनी हो तो [www.harplivnews.com](http://www.harplivnews.com) टाइप करके देखिये या [crimeinvestigationharpliv.com](http://crimeinvestigationharpliv.com) टाइप करके सभी खबरें देख सकते हैं, अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो हमारा नंबर है ७४९८५३५२८६ अगर आपको खबर भेजना है तो ईमेल करें : [Email-harpaltimes.press@gmail.com](mailto:Email-harpaltimes.press@gmail.com)

कम से कम फीस में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया की ट्रेनिंग दी जा रही है.. संपर्क करें : ७०२१४२५४४२